कार्यालय–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची।

कालीबाबू स्ट्रीट, राँची 834001, फोन/फैक्स 0651–2214012, ईमेल–rdderanchi2018@gmail.com

पत्रांक:- 580 /

प्रेषक,

अरबिन्द विजय बिलूंग,
क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची।

सेवा में,

प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डायट, रातू।
प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, बुण्डू, राँची।
प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सिमडेगा।

राँची/दिनांक:- 13/08/2021

विषय:– दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2017–19 में प्रथम मेधा सूची के अनुसार नामांकन लेने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2017–19 में प्रथम मेधा सूची के अनुसार नामांकन हेतु आहूत चयन समिति की बैठक दिनांक 13.08.2021 में लिए गये निर्णय सम्बन्धी कार्यवाही प्रतिवेदन एवं अनुमोदित मेधा-सूची पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कारवाई हेतु भेजी जा रही है।

सत्र 2017–19 में अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया था, फलस्वरूप चयनित अभ्यर्थियों से प्राप्त ऑनलाईन अभ्यावेदन की प्रति का शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/जाति–आवासीय एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेख से मिलान कर उनका औपबंधिक रूप से नामांकन नियमानुसार दिनांक 31.08.2021 तक कर लेगें तथा नामांकन के उपरांत रिक्ति उपलब्ध रहने पर तत्काल कोटिवार रिक्ति प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। मेधा सूची के अभ्यर्थियों का दूरभाष संख्या एवं ईमेल प्रतिवेदन भी पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है ताकि आपके स्तर अभ्यर्थियों को दूरभाष पर सूचित कर शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जा सके।

सत्र 2017–19 में प्रथम सूची अनुसार नामांकन लेने के पूर्व सभी अभिलेखों का मिलान मूल अभिलेख से कर सुनिश्चित कर पूर्णरूपेण संतुष्ट हो लेंगे कि अभ्यर्थी द्वारा उनके चयन से संबंधित सभी मान्यता संबंधी एवं अन्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिये गयें है तथा सभी मूल आवश्यक प्रमाण पत्र (यथा– CLC/CC, शपथ पत्र इत्यादि) भी संस्थान में जमा कर लिये गये हैं।

नामांकन के उपरांत दो माह के अंदर सभी अभ्यथियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच उनके निर्गत बोर्ड/संस्थान से अनिवार्य रूप से सत्यापन कराते हुए ततसम्बन्धि प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाय। अगर यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई गलत या जाली प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है तो उसका नामांकन रद्द करते हुए तत्काल कृत कार्रवाई की सूचना अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को दी जाय।

नामांकन के समय अभ्यर्थियों के द्वारा मूल रूप से शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र (आवेदन में उल्लेखित) उपलब्ध नही कराया जाता है तो उनका अभ्यार्थित्व समाप्त समझा जायेगा। निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं लिये जाने के स्थिति उनका नामांकन नहीं लिया जायेगा। जाति/निवासी प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी (अंचल पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी) द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.08. 2020 के पूर्व निर्गत ही मान्य होगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन करने की अंतिम तिथि उपरांत निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। खेल प्रमाण पत्र/एन0सी0सी0 से संबंधित प्रमाण पत्रों के सत्यापन भी निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत संबंधित संस्थान द्वारा कराना आवश्यक होगा। नामांकन में पूर्णरूपेण पारदर्शिता बरतते हुए भी यदि किसी तरह का अनियमियतता की स्थिति पायी जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदेही सम्बन्धित संस्थान/महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या की होगी।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
13.8.2021

(अरबिन्द विजय बिलूंग)
क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची।

Scanned by CamScanner